रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D- 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1970/ज्येष्ठ 11, 1892
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1970/JYAISTHA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st June 1970

SUBJECT:—*Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Saudi Arabia, Muscat and Other Persian Gulf Ports, excluding Iran and Iraq, during October, 1969—September, 1970 on annual basis.*

No. 79-ITC(PN)/70.—Attention of the importers is invited to paragraph 3 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 172-ITC(PN)/69, dated 23rd October, 1969, according to which licences issued for import of "Dates" from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports excluding Iran and Iraq for the period October, 1969—September, 1970 are valid upto 30th June, 1970.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences issued for import of "Dates" from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports excluding Iran and Iraq, in terms of the aforesaid Pubic Notice, may be deemed to have been extended up to 31st August, 1970. No further extension will be granted on any ground. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the Licensing Authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

पब्लिक नोटिस

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जून, 1970

विषय:—खजूरों (क्र० सं० 21 (बी) IV) का आयात—अक्तूबर, 1969—सितम्बर, 1970 की अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर सऊदी अरब, मस्कत तथा ईरान व इराक को छोड़ कर अन्य पर्शीयन गल्फ बन्दरगाहें।

सं० 79—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70:—आयातकों का ध्यान विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा निकाली गई सार्वजनिक सूचना सं० 172-आई० टी० सी० (पी०एन०)/69, दिनांक 23 अक्तूबर, 1969 के अनुच्छेद 3 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अक्तूबर, 1969—सितम्बर 1970 की अवधि के दौरान सऊदी अरब, मस्कत तथा ईरान व इराक को छोड़कर अन्य पर्शीयन गल्फ बन्दरगाहों से खजूरों के आयात के लाइसेंस 30 जून, 1970 की अवधि तक विधिमान्य हैं।

2. परिस्थिति की समीक्षा करके यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त सूचना के अन्तर्गत सऊदी अरब, मस्कत तथा ईरान व इराक को छोड़ कर अन्य पर्शीयन गल्फ बन्दरगाहों से खजूरों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंसों, जिनका उपयोग नहीं किया गया है अथवा अंशतः किया गया है, की मान्यता की अवधि को 31 अगस्त, 1970 तक बढ़ा हुआ माना जाए। अवधि में और वृद्धि किसी भी आधार पर नहीं दी जायेगी। सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसके लिए लाइसेंसों पर पृष्ठांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आयात अन्यथा आदेशानुसार है तो बढ़ी हुई अवधि के भीतर सीमा-शुल्क प्राधीकारी निकासी करने देंगे।

SUBJECT:—*Import of "Dates" (S. No. 21(b)/IV) from Iraq during September, 1969—August, 1970 licensing period on annual basis—Extension in the validity period.*

No. 80-ITC(PN)/70.—Attention of importers is invited to paragraph 8 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 141-ITC(PN)/69, dated 27th August, 1969 and Public Notice No. 189-ITC(PN)/69, dated 25th November, 1969, according to which licences issued for import of "Dates" from Iraq for the period September, 1969—August, 1970 are valid upto 30th June, 1970.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences, issued for import of "Dates" from Iraq in terms of the aforesaid Public Notices may be deemed to have been extended upto the 31st August, 1970. No further extension will be granted on any ground. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

S. VENKATESAN, Jt. Secy.

विषय :—सितम्बर, 1969—अगस्त, 1970, की लाइसेंसिंग अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर इराक से खजूरों (क्रमांक 21 (बी)/IV) का आयात—मान्यता की अवधि में बढ़ौतरी ।

सं० 80—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70—:आयातों का ध्यान विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा निकाली गई सार्वजनिक सूचना सं० 141-आई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 27 अगस्त, 1969 की कंडिका 8 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 189-आई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 25 नवम्बर, 1969 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार सितम्बर, 1969—अगस्त, 1970 की अवधि के दौरान इराक से खजूरों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंस 30 जून, 1970 तक विधिमान्य हैं ।

2. परिस्थिति की समीक्षा करके यह निर्णय किया गया है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचनाओं के अन्तर्गत इराक से खजूरों के आयात के लिये दिये लाइसेंसों, जिनका उपयोग नहीं किया गया है अथवा अंशतः किया गया है, की मान्यता की अवधि को 31 अगस्त, 1970 तक बढ़ा हुआ माना जाये । अवधि में और वृद्धि किसी भी आधार पर नहीं की जायेगी । सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इनके लिये लाइसेन्सों पर पृष्ठांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी । यदि आयात अन्यथा आदेशानुसार है तो बढ़ी हुई अवधि के भीतर सीमा-शुल्क प्राधिकारी निकासी करने देंगे ।

एम० वैनकटेसन, संयुक्त सचिव, ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATUM

The Issue date of Issue No. 92, containing Ministry of Home Affairs Notification No. 3/3/70-Pub.II, dated 24th May, 1970, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I—Section 1 at pages 475—477, should be read as "New Delhi, Sunday, May 24, 1970/Jyaistha 3, 1892" instead of "New Delhi, Saturday, May 23, 1970/Jyaistha 2, 1892" (in both the versions).

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970